नम्बर व ता. अहकाम जो इस की तारीख में जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 07 / 2025 (जीसीएमएरा सं.–2025 / 74) दायर दिनांक 02.04.2025

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

——प्रार्थी

बनाम

मुकेश कुमार मिढ्ढा पुत्र दीवान चन्द मिढ्ढा जाति अरोडा निवासी वार्ड न. 22 श्रीविजयनगर

——अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक:– 04 / 09 / 2025

1. यह इस्तगासा प्रार्थी श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। इस्तगासा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.03.2021 को अवैध डीजल बिक्री की शिकायत मिलने पर श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर हमराह श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी. श्रीकरनपुर व श्री विजेंद्र पाल प्रवर्तन अधिकारी, श्रीविजयनगर जांच करने हेतु पहुंचे। श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को मोबाइल पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि श्रीविजयनगर में हरिपुरा रोड स्थित मिढ्ढा किरयाना स्टोर पर अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल की बिक्री की जाती है। श्रीविजयनगर में उक्त दुकान पर एक बोगस ग्राहक जिसका नाम विनोद कुमार पुत्र श्री बीरबल राम उम्र 22 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम पंचायत 33 जीबी श्रीविजयनगर को डीजल खरीदने हेतु 200 रू. का नोट जिसका नंबर 6AT-936082 देकर भेजा गया। उक्त बोगस ग्राहक दुकान पर पहुंचा व उसने दुकान पर उपरिथत दुकानदार से 200 रू. का डीजल खरीद किया, डीजल खरीद करते हुए मौके पर जाकर दुकान का निरीक्षण किया उपस्थित दुकानदार ने अपना नाम मुकेश मिढ्ढा पुत्र श्री दीवान चंद मिड्ढा उम्र 30 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 22 श्रीविजयनगर (मो. 9828376267) होना बताया। उक्त बोगस ग्राहक द्वारा उसे दिया 200 रू. का नोट नंबर 6AT-936082 श्री मुकेश मिठ्ठा की जेब से प्राप्त हुआ जिससे यह साबित हो गया कि श्री मुकेश मिढ्ढा द्वारा किरयाना सामान के साथ–साथ पेट्रोल व डीजल की अवैध बिक्री का कार्य भी किया जाता है। मौके पर दुकान की जांच की गई तो दुकान के बाहर पेट्रोल से भरी हुई प्लास्टिक की 1 लीटर व आधा लीटर की क्रमशः 04 व 02 बोतलें प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित करती पाई गई ताकि उपभोक्ताओं को पेट्रोल व डीजल की बिक्री का पता चल सके। दुकान की जांच करने पर दुकान में चार प्लास्टिक व दो लोहे के ड्रम भी पाये गये। एक प्लास्टिक के ड्रम में 220 लीटर डीजल व दूसरे ड्रम में 10 लीटर डीजल होना पाया व दो प्लास्टिक के ड्रम खाली मिले। दो लोहे के ड्रम में से एक ड्रम में 220 लीटर मोबिल ऑयल व दूसरे लोहे के ड्रम में 150 लीटर मोबिल ऑयल होना पाया। मुकेश मिढ्ढा द्वारा बताया गया कि दुकान में तीन प्लास्टिक के कैन भी रखे मिले जिनमें प्रत्येक में लगभग 50 लीटर पेट्रोल होना पाया। इस प्रकार दुकान की जांच करने पर दुकान में 230 लीटर डीजल, 370 लीटर मोबिल ऑयल, 155 लीटर पेट्रोल रखा मिला। इस प्रकार दुकान से मिले 230 लीटर डीजल, 370 लीटर मोबिल ऑयल (सीएल) 155 लीटर पेट्रोल व 6 ड्रम (चार प्लास्टिक व दो लोहे) व तीन प्लास्टिक की केनी व एक हाथ चलित पंप व 3 माप (10 ली., 5 ली. व 2ली.) व एक लोहे की कीप व एक पेट्रोल की बिक्री ब्योरा वाली एक व्यापारिक बही व एक रजिस्टर को जरिए फर्द जब्ती जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गए सामान में से 230 लीटर डीजल, 370 लीटर मोबिल ऑयल (सीएल), 155 लीटर पेट्रोल व 6 ड्रम (चार प्लास्टिक व दो लोहे) व तीन प्लास्टिक की केनी व एक हाथ चलित पंप व 3 माप (10ली., 5ली. व 2ली.) व एक लोहे की कीप को श्री जितेंद्र कामरा पुत्र श्री प्रीतम सिंह कामरा जाति अरोड़ा वार्ड नंबर 13 मैनेजर श्री गणपति फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप रायसिंहनगर रोड श्री विजयनगर की सुपुर्दगी में दिया गया तथा निर्देशित किया कि राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर के आगामी निर्देश तक उसे सुरक्षित रखेंगे अन्यथा वह सामान की अनुमानित कीमत ₹75000 राजकोष में जमा करवाएंगे। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मुकेश मिढ्ढा पुत्र श्री दीवान चंद मिढ्ढा उम्र 30 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 22 श्रीविजयनगर उक्त कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supplies and Distribution and Prevention of Malpractices) order, 2005 की धारा 2 (च)(vi) (vii) (थ) (द), 3 (4, 6), 4 व Lubricating Oils and Greases (Processing- Supply & Distribution Regulation) Order, 1987 के खण्ड ... की अवहेलना की है। अतः बरवक्त जांच जब्तशुदा समस्त सामग्री 230 लीटर डीजल, 370 लीटर मोबिल ऑयल (सीएल), 155 लीटर पेट्रोल व 6

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ड्रम (चार प्लास्टिक व दो लोहे) व तीन प्लास्टिक की केनी व एक हाथ चलित पंप व 3 माप (10 ली., 5 ली. व 2 ली.) व एक लोहे की कीप को राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि उक्त जब्तशुदा सामग्री EASY PPERISHABLE/उड़नशील व ज्वलनशील है जिसमे छीजत की संभावना है, अतः जब्तशुदा सामग्री के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने की कृपा करें।

2. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस तामील होने तथा पर्याप्त सूचना होने के बावजूद भी अप्रार्थी आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये।

3. पत्रावली का गहनता अवलोकन किया गया। अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.03.2021 को मौके पर तैयार किये गये फर्द निरीक्षण मय जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है जिससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल व डीजल की अवैध बिक्री का कार्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supplies and Distribution and Prevention of Malpractices) order, 2005 की धारा 2 (च)(vi) (vii) (थ) (द), 3 (4, 6), 4 व Lubricating Oils and Greases (Processing- Supply & Distribution Regulation) Order, 1987 के खण्ड 3 की स्पष्ट अवेलहना की है। अतः मौके पर जब्तशुदा सामग्री 230 लीटर डीजल, 370 लीटर मोबिल ऑयल (सीएल), 155 लीटर पेट्रोल व 6 ड्रम (चार प्लास्टिक व दो लोहे) व तीन प्लास्टिक की केनी व एक हाथ चलित पंप व 3 माप (10 ली., 5 ली. व 2 ली.) व एक लोहे की कीप को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को पालनार्थ/आवयक कार्यवही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner